मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 10 जनवरी 2023

एमसीआईआर

I. विनियमन

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (डी-एसआईबी)

रिज़र्व बैंक ने 2 जनवरी 2023 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को डी-एसआईबी के रूप में उसी बकेटिंग संरचना के अंतर्गत रखा गया है, जैसा कि डी-एसआईबी की 2021 की सूची में था। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं, 1 अप्रैल 2016 से ही चरणबद्ध की गई थी और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई। भारतीय स्टेट बैंक के लिए जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सीईटी1 अपेक्षा 0.60 प्रतिशत है जबकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के लिए आरडब्ल्यूए 0.20 प्रतिशत है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग

रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2023 को सूचित किया कि 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, उसे निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

केवाईसी का आवधिक अद्यतनीकरण

रिज़र्व बैंक ने 5 जनवरी 2023 को ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए उपलब्ध तकनीकी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत निर्धारित ढांचे और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के भीतर केवाईसी संबंधी निर्देशों को युक्तिसंगत बनाया।

वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि केवाईसी जानकारी में कोई संशोधन नहीं होता है, तो एकल ग्राहक से इस आशय की एक स्व-घोषणा पुनः केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एकल ग्राहक को इस तरह की स्व-घोषणा की सुविधा विभिन्न गैर-आमने-सामने चैनलों यथा पंजीकृत ईमेल-आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र, आदि, के माध्यम से बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना प्रदान करें। इसके अलावा, यदि केवल पते में परिवर्तन होता है, तो ग्राहक इनमें से किसी भी चैनल के माध्यम से संशोधित/अद्यतन पता प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद बैंक दो महीने के भीतर घोषित पते का सत्यापन करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बासेल III पूंजी विनियमन

रिज़र्व बैंक ने 9 जनवरी 2023 को बैंकों को यह सूचित किया कि वे पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों के जोखिम भार निर्धारण हेतु निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का उपयोग करें:

i) एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइट);
ii) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केअर);
iii) क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड;
iv) आईसीआरए लिमिटेड;
v) इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स); और
vi) इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इन्फोमेरिक्स)।

विनियमित संस्थाओं/बाजार सहभागियों को सूचित किया गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किन्ही भी दिशानिर्देशों के संदर्भ में अपेक्षित रेटिंग/क्रेडिट मूल्यांकन के संबंध में, ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कोई नई रेटिंग/ मूल्यांकन प्राप्त नहीं की जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

रिज़र्व बैंक ने 11 जनवरी 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया क्योंकि इन कंपनियों ने रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कर दिया था।

इसके अलावा, एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) ने रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया। अत: रिज़र्व बैंक ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	विनियमन	1
II.	भुगतान और निपटान प्रणाली	2
III.	वित्तीय बाज़ार	2
IV.	सरकार का बैंक	2
V.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
VI.	अनुसंधान	3
VII.	आरबीआई प्रकाशन	3
VIII.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे.

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

उदारीकृत विप्रेषण योजना

रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 को एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड (स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस की सहायक कंपनी) को अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निदेश जारी किया। यह आदेश, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं पर आधारित था।

तथापि, बैंक ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की और प्रतिबंधों में छूट हेतु अनुरोध किया। अनुरोध के आधार पर और बैंक के प्रभावित ग्राहकों को भी राहत प्रदान करने हेतु, रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2023 को बैंक द्वारा जारी केवाईसी अनुपालित अंतरराष्ट्रीय सक्रिय डेबिट कार्ड के माध्यम से एलआरएस के अंतर्गत एटीएम/पीओएस लेनदेन की अनुमति देकर 15 मार्च 2023 या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रतिबंधों में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 को बैंकों के लिए वर्तमान सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा के लिए करारों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत और 30 सितंबर 2023 तक 75 प्रतिशत के मध्यवर्ती माइलस्टोन के साथ पूरा करने की समय-सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। पूर्व में यह समय-सीमा 1 जनवरी 2023 थी।। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को स्टाम्प पेपर की उपलब्धता सुनिश्चित करके संशोधित करारों के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा

30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2023 को दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा (एसएसएएफ) पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एक चर्चा पत्र जारी किया।

चर्चा पत्र में मुख्यतः रूपरेखा के नौ प्रासंगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें आस्ति ब्रह्मांड, आस्ति पात्रता, न्यूनतम जोखिम प्रतिधारण, विशेष प्रयोजन इकाई और समाधान प्रबंधक के लिए विनियामक रूपरेखा, समाधान प्रबंधक के लिए वित्त तक पहुंच, पूंजी उपचार, उचित तत्परता, ऋण वृद्धि और मूल्यांकन शामिल हैं। मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की रूपरेखा के साथ संरचनात्मक रूप से संरेखित रखने के प्रयास करते हुए, यह अन्य क्षेत्राधिकारों में प्रस्तुत किए गए समान रूपरेखाओं पर आधारित है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2023 को श्री वी. रामचंद्र को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सेवा प्रदाताओं के परिचालनों में प्रशासक को सलाह प्रदान करने हेतु श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

विनियामक सैंडबॉक्स

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 जनवरी 2023 को 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' विषय के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की। प्राप्त नौ आवेदनों में से बैंक ने ' जांच चरण' के लिए आवेदनों का चयन किया। संस्थाएं, अर्थात, i) भवन साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड; ii) क्रेडीवॉच इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड; iii) एनस्टेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (विब्मो); iv) एनस्टेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (विब्मो) के सहयोग से एचएसबीसी; v) नैपआईडी साइबरसेक प्राइवेट लिमिटेड; और vi) ट्रस्टिंग सोशल प्राइवेट लिमिटेड, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच शुरू करेंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिजिटल भुगतान सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2023 को सितंबर 2022 महीने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक – डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की। सितंबर 2022 का सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में 377.46 पर है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. वित्तीय बाज़ार

पूर्णतः सुलभ मार्ग

रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सॉवरेन हरित बॉण्ड के निर्गम का कैलेंडर जारी किया। रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें घरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होने के अलावा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोली गई थीं। अब यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा जारी सभी सॉवरेन हरित बॉण्ड को भी एफएआर के अंतर्गत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में शामिल किया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. सरकार का बैंक

सॉवरेन हरित बॉण्ड के लिए कैलेंडर

रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी 2023 को अधिसूचित किया कि भारत सरकार, अपने समग्र बाजार उधार के भाग के रूप में, हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी करेगी। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसजीआरबी जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया।

क्रम सं	नीलामी की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिभूति-वार आबंटन
1	25 जनवरी 2023	8000	i) ₹4,000 करोड़ के लिए 5 वर्षीय एसजीआरबी
			ii) ₹4,000 करोड़ के लिए 10 वर्षीय एसजीआरबी
2	9 फरवरी 2023	8000	i) ₹4,000 करोड़ के लिए 5 वर्षीय एसजीआरबी
			ii) ₹4,000 करोड़ के लिए 10 वर्षीय एसजीआरबी

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ई-कुबेर में मूल्य/ प्रतिफल सीमा निर्धारण

रिज़र्व बैंक ने 11 जनवरी 2023 को सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के सहभागियों को प्राथमिक बाज़ार की नीलामी में बोली लगाने से पहले ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म पर 'मूल्य/प्रतिफल सीमा निर्धारण' सुविधा का उपयोग करने हेतु सूचित किया। यह सुविधा जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में बाजार सहभागियों को प्रदान की जाती है। यह एक बाजार सहभागी को बोलियों के लिए एक सीमा परिभाषित करने की अनुमति देता है। प्रत्येक नीलामी में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए यह सीमा मूल्य या प्रतिफल रूप में नीलामी के पहले निर्धारित की जा सकती है और इसे नीलामी के दौरान भी आशोधित किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना

रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2023 को सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को एफ़आईआरएमएस पोर्टल पर 'एकल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ़)' में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तनों के बारे में सूचित किया;

i) पोर्टल पर प्रस्तुत फॉर्मों की पावती स्वत: आ जाएगी। प्राधिकृत व्यापारी बैंक, अपलोड किए गए यथानिर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर पांच कार्य दिवसों के भीतर इनका सत्यापन करेंगे।

ii) रिपोर्टिंग में होने वाले विलंब के मामलों में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक या तो आवेदकों को विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ), जिसकी गणना सिस्टम द्वारा की जाएगी, जमा करने की सूचना देंगे, अथवा उन्हें संबंधित उल्लंघन की कंपाउंडिंग, जैसा भी मामला हो, के लिए कहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. अनुसंधान

वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन: मिज़ोरम का एक मामला अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2023 को "भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के निर्धारक: मिज़ोरम का एक मामला अध्ययन" शीर्षक से डीआरजी अध्ययन जारी किया।

इस अध्ययन में मिज़ोरम राज्य में किए गए एक सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर भारत के अल्प-बैंक वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के निर्धारकों का मूल्यांकन किया गया है। मिज़ोरम के चार जिलों के आठ ब्लॉकों से कुल 523 उत्तरदाताओं का चयन किया गया था। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 जनवरी 2023 को जनवरी-मार्च 2023 की संदर्भ अवधि के लिए तिमाही सेवाएं और मूलभूत सुविधा संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) के 36वें दौर की शुरुआत की। यह सर्वेक्षण मांग स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों के आधार पर भारत में सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की वर्तमान तिमाही (2022-23 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी स्थिति का आकलन करता है। प्रमुख मापदंडों पर एक अतिरिक्त ब्लॉक बाद की दो तिमाहियों (2023-24 की दूसरी तिमाही और 2023-24 की तीसरी तिमाही) के लिए सेवाओं और मूलभूत सुविधा क्षेत्र की कंपनियों की संभावनाओं को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 जनवरी 2023 को जनवरी-मार्च 2023 की संदर्भ अवधि के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 101वें दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण में वर्तमान तिमाही (2022-23 की चौथी तिमाही) के लिए कारोबारी मनोभाव और आगामी तिमाही (2023-24 की पहली तिमाही) के लिए प्रत्याशाओं का आकलन किया जाता है, जो मांग की स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार की स्थितियों तथा मूल्य स्थिति से संबंधित संकेतकों के समूह पर गुणवत्तापूर्ण प्रत्युत्तरों पर आधारित है। यह सर्वेक्षण विनिर्माण क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. आरबीआई का प्रकाशन

राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी 2023 को "राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो क्रमशः 2020-21 और 2021-22 के लिए वास्तविक और संशोधित/अनंतिम खातों की पृष्ठभूमि के सापेक्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय "भारत में पूंजी निर्माण - राज्यों की भूमिका" है।

मुख्य बातें:

i) राज्यों की वित्तीय स्थिति में 2020-21 के दौरान महामारी-प्रेरित गिरावट की स्थिति से वैविध्यपूर्ण आर्थिक बहाली और उच्च राजस्व संग्रह के परिणामस्वरूप सुधार हुआ है - राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफ़डी) का 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

ii) जबकि राज्यों का ऋण, 2020-21 में जीडीपी के 31.1 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में 29.5 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है, अभी भी यह एफ़आरबीएम समीक्षा समिति, 2018 (अध्यक्ष: श्री एन. के. सिंह) द्वारा अनुशंसित 20 प्रतिशत से अधिक है, जो ऋण समेकन की प्राथमिकता की आवश्यकता को दर्शाता है।

iii) 2022-23 में, राज्यों ने 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की तुलना में अधिक पूंजी परिव्यय का बजट रखा है। आगे चलकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना और हरित ऊर्जा संक्रमण जैसे क्षेत्रों के लिए आवंटन में वृद्धि से उत्पादक क्षमताओं के विस्तार में मदद मिल सकती है, यदि राज्य उन्हें अवशिष्ट और बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने हेतु कटौती के पहले पड़ाव के रूप में मानने के बजाय मुख्यधारा की पूंजी नियोजन करते हैं।

iv) अच्छे समय, जब राजस्व प्रवाह मजबूत होता है, के दौरान एक पूंजी व्यय बफर निधि बनाने पर विचार करना उचित होता है ताकि आर्थिक चक्र के माध्यम से व्यय की गुणवत्ता एवं प्रवाह को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से बनाए रखा जा सके।

v) निजी निवेश में वृद्धि के लिए, राज्य सरकारें निजी क्षेत्र की उन्नति के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रख सकती हैं। राज्यों को देश भर में राज्य पूंजीगत व्यय के प्रभाव विस्तार के पूर्ण लाभ हेतु उच्च अंतर-राज्य व्यापार और कारोबारों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने की भी आवश्यकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 जनवरी 2023 को 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संभावनाएं 2021-22' शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन का 9वां अंक जारी किया। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के 'पर्यवेक्षण विभाग' द्वारा प्रकाशित किया गया है।

इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के वित्तीय खातों को शामिल किया गया है। यह प्रकाशन तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, अनर्जक आस्तियों, वित्तीय अनुपातों, कार्यालयों के राज्य-वार वितरण और प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के विवरण के बारे में समग्र जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, यह प्रकाशन पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता और कर्मचारी उत्पादकता संबंधी चुनिंदा वित्तीय अनुपातों पर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की बैंक-वार जानकारी भी प्रदान करता है। यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) के लिंक https://dbie.rbi.org.in/ के माध्यम से वार्षिक आधार पर केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

ओबीओ का वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2023 को 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 (ओएसडीटी) के अंतर्गत 11 नवंबर 2021 तक की गतिविधियों तथा आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत 12 नवंबर 2021 से गतिविधियों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में आगे की राह भी शामिल है। वार्षिक रिपोर्ट के कतिपय प्रमुख अंश इस प्रकार हैं:

❑ लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियाँ

i) वर्ष 2021-22 के दौरान लोकपाल योजनाओं/ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्षों के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 9.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान इनकी संख्या 4,18,184 रही।

ii) कुल रिपोर्ट की गई शिकायतों में से 3,04,496 शिकायतों को भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल (ओआरबीआईओ) के 22 कार्यालयों द्वारा संचालित किया गया, जिसमें 11 नवंबर 2021 तक तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त शिकायतें शामिल हैं।

iii) आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) की स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2022 तक सीआरपीसी द्वारा संचालित 1,49,419 शिकायतों में से 1,43,552 शिकायतों का निपटान किया गया।

iv) भुगतान और लेनदेन के डिजिटल तरीकों से संबंधित शिकायतों की संख्या सबसे अधिक थी, जो वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की 42.12% थी।

v) आरबीआईओ द्वारा शिकायतों के निपटान की दर 2020-21 में 96.59% से बढ़कर 2021-22 में 97.97% हो गई।

vi) अधिकांश (63.63%) अनुरक्षण योग्य शिकायतों का समाधान आपसी समझौते/सुलह/मध्यस्थता के माध्यम से किया गया।

❑ वर्ष 2021-22 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम

वर्ष के दौरान, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित पहल कीं:

i. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 नवंबर 2021 को आरबी-आईओएस, 2021 की शुरुआत की गई। आरबी-आईओएस, 2021 के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें ₹50 करोड़ और उससे अधिक की जमाराशि वाले गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किया गया।

ii. देश भर से ईमेल द्वारा या भौतिक रूप से शिकायतें प्राप्त करने और आगे के निवारण हेतु ओआरबीआईओ को अनुरक्षण योग्य शिकायतों को भेजने से पहले इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच और प्रसंस्करण को संचालित करने के लिए आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में एक सीआरपीसी की स्थापना की गई। शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज करने में सहायता प्रदान करने, उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने तथा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त दस क्षेत्रीय भाषाओं (असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु) में सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं से संबंधित जागरूकता संदेश प्रदान करने के लिए एक संपर्क केंद्र भी स्थापित किया गया।

iii. विभाग और लोकपाल कार्यालयों द्वारा 15 मार्च 2022 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। आरबीआईओ ने वर्ष के दौरान 29 टाउन-हॉल कार्यक्रम और 175 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए।

❑ आगे की राह

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान, सीईपीडी निम्नलिखित कार्य योजनाओं की दिशा में कार्य करेगा:

i. जनवरी 2021 में जारी "बैंकों के लिए शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत बनाना" संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा।

ii. आरबी-आईओएस, 2021 और आंतरिक लोकपाल योजना का और अधिक आरई, जो वर्तमान में शामिल नहीं किए गए हैं, तक विस्तार करना।

iii. सीएमएस की दक्षता और उपयोग में आसानी को बढ़ाना।

iv. संपर्क केंद्र का उन्नयन और विस्तार करना। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन, जनवरी 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 जनवरी 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का जनवरी 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में तीन भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। शामिल पाँच आलेख निम्नानुसार हैं-

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;

ii) भारत में उत्पादकता वृद्धि: अनुभवजन्य मूल्यांकन;

iii) स्टार्ट-अप द्वारा भारत में निधि जुटाने वाले कारक क्या हैं?

iv) भारत में खुला बाजार परिचालन - एक मूल्यांकन; और

v) बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति और ऋण उठाव: पूर्वी क्षेत्र में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से साक्ष्य। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2023 माह के दौरान जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र सं.	शीर्षक
1.	नवंबर 2022 माह का भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार
2.	नवंबर 2022 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी
3.	लघु बचत
4.	केंद्र और राज्य सरकारों की समेकित प्राप्तियाँ और वितरण
5.	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त वित्तीय निभाव
6.	राज्य सरकारों द्वारा निवेश
7.	राज्य सरकारों का बाज़ार उधार
8.	i) परिवारों के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार
	ii) परिवारों के वित्तीय आस्तियों और देयताओं के स्टॉक-चुनिंदा संकेतक
9.	एसडीडीएस- राष्ट्रीय सार आंकड़ा पेज-भारत
10.	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – दिसंबर 2022

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।